लालसोट जिला दौसा (राज०)

01-2-23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। नालिश वाद मुताबिक कुर्रेनामा विरुद्ध प्रतिवादीगण अंतिम तौर पर डिग्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मिसल किया गया। पत्रावली बाद फैसला होकर बाद फैसला होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :—29 / 20

रज्जू दिनांक 17—06—2020

पीठासीन अधिकारी
श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. रामकिशोर
2. राधामोहन
3. घनश्याम

पि0 नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी सेढूलाई कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र बसंतीलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र भगोतीलाल
3. शम्भूलाल
4. ताराचन्द — पि0 चौथमल
5. कमलेश
6. रामस्वरूप
7. बाबूलाल — पि0 बसन्तीलाल
8. चन्दोबाई पत्नी मीठालाल
9. सत्यनारायण
10. विकेश — पि0 मीठालाल
11. रूपनारायण पुत्र रामप्रसाद
12. विजय कुमार
13. अजय कुमार — पि0 राधेश्याम
14. अभय कुमार
15. विष्णु प्रसाद
16. कमलेश
17. राजेश — पि0 रामगोपाल
18. संजय
19. रूकमणी पत्नी रामगोपाल

(1–19) समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सेढूलाई कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 01—02—2023

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1494 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 1538 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नं0 1539 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 2062 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 2064 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 2073 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 2076 रकबा 02 बीघा, खसरां नं0 2077 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 2078 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 2110 रकबा 01 बिस्वा किता 10 कुल रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसे वाद पत्र में आगे आराजी वादग्रस्त से सम्बोधित किया गया है। आराजी वादग्रस्त मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 है एवं शेष हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत तरीके से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजीयात पर वादीगण उक्त भूमि मे अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं प्रतिवादीगण भी मौके पर हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज होकर अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण को यह कानूनी हक अधिकार हांसिल है कि वह संयुक्त खातेदारी की आराजी वादग्रस्त मे अपने हिस्से की भूमि को अपने कब्जेनुसार अलग कराकर अलग खाता व अलग लगान कायम करावे एवं इसी कदर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करावे। वादीगण को यह भी कानूनी हक अधिकार हांलिस है कि वह आराजी वादग्रस्त मे बिना विधिवत विभाजन कराये किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हिस्सा विशेष की भूमि हस्तान्तरित करने एवं बिना बटवारा कराये निर्माण करने एवं अपने हिस्से की भूमि के कब्जेकाश्त मे दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 25—05—2020 को संयुक्त खातेदारी की भूमि का बिना विधिवत विभाजन कराये खसरा नं0 2076 जो की मुख्य सड़क से लगती हुई भूमि है, पर जबरन कब्जा करने एवं निर्माण करने की वादीगण को धमकी दी एवं उक्त भूमि मे होकर वादीगण एवं अन्य खातेदारो के रास्ते को भी बंद करने की धमकी दी। जिससे वाद हेतुक पैदा होकर वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री प्रेमप्रकाश चौधरी एडवोकेट ने जवाब दावा मय वकालतनामा पेश किया। बाद सुनवाई पत्रावली पर वकील प्रतिवादीगण ने उक्त वाद पत्र को मौके पर काबिज अनुसार विभाजन करवाने के

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

लिए सहमति प्रदान की तथा पत्रावली वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित होने के कारण पत्रावली वास्ते अंतिम बहस पर नियत की गई।

वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2, 1/2 नियत होने के कारण विभाजन किया जावे। तदुपरान्त प्रकरण मे दिनांक 20-06-2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कि गयी जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार लालसोट द्वारा मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी कुर्रेजात 2-2 प्रतियो मे न्यायालय मे प्रस्तुत किये है। जो शामिल पत्रावली किये गये तत्पश्चात वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पेश किया एवं वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात अस्वीकार कर खारीज किया गया।

हमने प्रकरण में बहस अंतिम वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात का भी अवलोकन किया जिससे वादीगण का वाद व इकवालिया जवाव के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तिम रूप से निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :-

कम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	घनश्याम, रामकिशोर, राधामोहन पि0 नाथूलाल कौम ब्राह्मण सा. देह. खातेदार	1494/4 2064/3 2076/1	0.03 0.02 0.02	बारानी2 बारानी1 बारानी ए	0.19 0.16 0.25
	योग किता	3	0.07		0.60
2.	रामस्वरूप पुत्र बसन्ती लाल कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार	1494/1 1538/1 2062/2 2073/3 2076/3 2110	1.12 0.03 0.19 0.09 1.05 0.01	बारानी-2 गैरमु0झेरा बारानी1 बारानी ए बारानी ए गै0 मु0 खड्डा	2.09 - 1.48 1.12 3.12 -

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

	योग	6	4.09		7.81
3	सत्यनारायण, विकेश पि0 मीठालाल, रूपनारायण पुत्र रामप्रसाद, विजयकुमार, अजयकुमार, अभयकुमार पि0 राधेश्याम, मंजू पुत्री राधेश्याम, विष्णुप्रसाद, कमलेश, राजेश, संजय पि0 रामगोपाल, रूकमणी देवी पत्नी स्व. रामगोपाल कौम ब्राह्मण सा. देह	1494/2 1538/2 1539 2062/1 2064/2 2073/1 2076/4 2077 2078	0.14 0.03 0.01 0.05 0.03 0.03 0.07 0.02 0.02	बारानी–2 गैरमु0झेरा गैरमु0 झेरा बारानी 1 बारानी 1 बारानी ए बारानी ए गै0 मु0 चाह गै0मु0 चाह	0.91 – – 0.39 0.23 0.37 0.88 – –
	योग	09	2.00		2.78
4.	बाबूलाल पुत्र बसन्तीलाल हिस्सा 10/23 शम्भूलाल, ताराचन्द, कमलेश पि0 चौथमल, ओमप्रकाश पुत्र भगोतीलाल हिस्सा 13/23 कौम ब्राह्मण सा0 देह	1494/3 2064/1 2073/2 2076/2	0.08 0.05 0.04 0.06	बारानी 2 बारानी 1 बारानी ए बारानी ए	0.54 0.39 0.51 0.75
	योग	04	1.03		2.19

उक्तानुसार तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक अन्तिम डिक्री राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा बटा नम्बर अंकित किये जाकर मुताबिक कुर्रेजात पृथक– पृथक लगान का निर्धारण करें एवम् पक्षकारान बैंक ऋण प्राप्तकर्ता अपना अपना ऋण स्वंय वहन करेगें। तहसीलदार लालसोट को कुर्रेजात की एक प्रति मय नक्शा ट्रेस इस निर्णय के साथ भिजवायी जावे। प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 01–02–2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ. 20 रूल6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा

बइजलास – श्री बृजेन्द्र मीना आ.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29 / 2020 दिनांक रजु : 17–06–2020

पीठासीन अधिकारी : श्री बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

1. रामकिशोर
2. राधामोहन
3. घनश्याम

पि0 नाथूलाल जाति ब्रह्मण निवासी सेढूलाई कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र बसंतीलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र भगोतीलाल
3. शम्भूलाल
4. ताराचन्द
5. कमलेश } पि0 चौथमल
6. रामस्वरूप
7. बाबूलाल } पि0 बसन्तीलाल
8. चन्दोबाई पत्नी मीठालाल
9. सत्यनारायण
10. विकेश } पि0 मीठालाल
11. रूपनारायण पुत्र रामप्रसाद
12. विजय कुमार
13. अजय कुमार
14. अभय कुमार } पि0 राधेश्याम
15. विष्णु प्रसाद
16. कमलेश
17. राजेश
18. संजय } पि0 रामगोपाल
19. रूकमणी पत्नी रामगोपाल

(1 से 19) समस्त जाति ब्रह्मण निवासी सेढूलाई कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

20. राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

वाद भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 व 53 रा० का० अधिनियम

दिनांक : ....

प्रकरण का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है कि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू ....व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद मुताबिक फुरेजात

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	घनश्याम, रामकिशोर, राधामोहन पि0 नाथूलाल कौम ब्राह्मण सा. देह. खातेदार	1494/4 2064/3 2076/1	0.03 0.02 0.02	बारानी2 बारानी1 बारानी ए	0.19 0.16 0.25
	योग किता	3	0.07		0.60
2.	रामस्वरूप पुत्र बसन्ती लाल कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार	1494/1 1538/1 2062/2 2073/3 2076/3 2110	1.12 0.03 0.19 0.09 1.05 0.01	बारानी–2 गैरमु0झेरा बारानी1 बारानी ए बारानी ए गै0 मु0 खड्डा	2.09 – 1.48 1.12 3.12 –
	योग	6	4.09		7.81
3	सत्यनारायण, विकेश पि0 मीठालाल, रूपनारायण पुत्र रामप्रसाद, विजयकुमार, अजयकुमार, अभयकुमार पि0 राधेश्याम, मंजू पुत्री राधेश्याम, विष्णुप्रसाद, कमलेश, राजेश, संजय पि0 रामगोपाल, रूकमणी देवी पत्नी स्व. रामगोपाल कौम ब्राह्मण सा. देह	1494/2 1538/2 1539 2062/1 2064/2 2073/1 2076/4 2077 2078	0.14 0.03 0.01 0.05 0.03 0.03 0.07 0.02 0.02	बारानी–2 गैरमु0झेरा गैरमु0 झेरा बारानी 1 बारानी 1 बारानी ए बारानी ए गै0 मु0 चाह गै0मु0 चाह	0.91 – – 0.39 0.23 0.37 0.88 – –
	योग	09	2.00		2.78
4.	बाबूलाल पुत्र बसन्तीलाल हिस्सा 10/23 शम्भूलाल, ताराचन्द, कमलेश पि0 चौथमल, ओमप्रकाश पुत्र भगोतीलाल हिस्सा 13/23 कौम	1494/3 2064/1 2073/2 2076/2	0.08 0.05 0.04 0.06	बारानी 2 बारानी 1 बारानी ए बारानी ए	0.54 0.39 0.51 0.75

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

	ब्राह्मण सा0 देह				
	योग	04	1.03		2.19

निज ....✓.......मुवलिग ....✓...............यावत ....✓..............खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ....✓..............फीसदी सालाना आज की तारीख से मारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......01........माह..02....सन्..23..को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
आहदा लालसोट जिला दौसा (राज०)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दयलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस गवाहान		
फीस गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्माना		
बाबत इजराय हुक्माना			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	[illegible]	[illegible]	मीजान	[illegible]	[illegible]

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)